कृषि निर्यातकों को अब परिवहन पर मिलेगा पहले से अधिक अनुदान

प्रति किलोग्राम अनुदान व्यवस्था खत्म, सीधे मिलेगी 25% की रियायत

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : कृषि उत्पादों के साथ ही प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने परिवहन व्यय पर अनुदान की तमाम जटिलताओं को समाप्त करते हुए निर्यातकों को बड़ी राहत दी है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति-2019 के तृतीय संशोधन में उन पेचीदगियों को दूर कर दिया गया है, जिससे निर्यातकों को अपेक्षा के अनुरूप अनुदान नहीं मिल पाता था। अब निर्यातकों को सीधे सपाट तरीके से परिवहन व्यय पर पहले से अधिक अनुदान मिल सकेगा। नई व्यवस्था एक जुलाई से प्रभावी हो गई है।

कृषि निर्यात नीति के तहत निर्यातकों को अब तक वायु या जल मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन व्यय पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम अथवा वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत (पोर्ट तक उत्पाद पहुंचाने का मार्ग व्यय सहित) में जो भी कम होता था, अनुदान के रूप में सरकार उपलब्ध कराती थी। रेल मार्ग या सड़क मार्ग से निर्यात करने पर परिवहन अनुदान पांच रुपये प्रति किलोग्राम या वास्तविक भाड़े का 25 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाता था। इससे निर्यातकों को मुश्किल होती थी। वायु मार्ग से निर्यात पर व्यय का खर्च अधिक आता था, ऐसी स्थिति में निर्यातक को दस रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अनुदान ही मिल पाता था, क्योंकि यह कम होता था। इस जटिलता को दूर करते हुए अब सीधे वास्तविक भुगतान का 25 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

इतना ही नहीं, इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। पूर्व की व्यवस्था के तहत निर्यातक को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये ही परिवहन अनुदान मिल सकता था, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये प्रति वर्ष तक कर दिया गया है। हां, मांस व चीनी के निर्यात पर यह पूर्व की तरह देय नहीं होगा। बता दें कि समुद्र तट से दूर होने के कारण प्रदेश के निर्यातकों को समुद्र तट वाले राज्यों से प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती है और वायु मार्ग से निर्यात करने पर बहुत खर्च आता है। निर्यातकों के परिवहन व्यय के बोझ को कम करने के लिए सरकार उन्हें कृषि निर्यात नीति के तहत अनुदान उपलब्ध करा रही है।

● नई व्यवस्था एक जुलाई से हुई प्रभावी, अधिकतम 20 लाख तक मिल सकेगी सब्सिडी

उत्तर प्रदेश समुद्री तट से दूर है। ऐसे में निर्यातकों को समुद्री तट वाले राज्यों से प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई होती है। वायु मार्ग से निर्यात करने पर खर्च बहुत ज्यादा आता है, इसे देखते हुए निर्यातकों को परिवहन अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

-दिनेश प्रताप सिंह, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)